बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वर्ष 2013–14 के नवीनीकरण एवं वर्ष 2014–15 के नवीन एवं नवीनीकरण प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र से संबंधित दिशा–निर्देश

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना – इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के अन्दर एवं बाहर सरकारी/गैर सरकारी (मान्यताप्राप्त) संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण एवं वर्ष 2014–15 में राज्य के अन्दर एवं बाहर सरकारी/गैर सरकारी (मान्यताप्राप्त) संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नवीन एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

➢ प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदकों की अर्हताः–

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए सक्षम होंगेः–

1. आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को बिहार राज्य के अन्दर एवं बाहर सरकारी/गैर सरकारी (मान्यताप्राप्त) संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
3. आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हों।
4. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम ₹1.00 लाख (रूपये एक लाख) तक होना चाहिए।
5. एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा–आई0एस0सी0/आई0कॉम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आई0ए0, बी0ए0/बी0एस0सी0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी0कॉम एवं एम0एस0सी0/एम0कॉम करने के बाद एम0ए0 कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
6. एक माता–पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा।

➢ छात्रवृत्ति की देय राशिः–

भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के अन्दर एवं बाहर** सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं/कोर्सो में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को "संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर" पर **नवीन एवं नवीनीकरण** छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जायेगा एवं उक्त दर पर हीं **"वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के नवीनीकरण"** आवेदकों को भी छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जायेगी।

➢ आवेदन करने की प्रक्रियाः–

1. ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाईट http://bcebcwelfare.bih.nic.in पर लॉग ऑन करें एवं आवेदन पत्र की प्रत्येक कंडिका से संबंधित सूचना स्पष्ट रूप से अंकित करें।
2. आवेदक आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से समर्पित किये जानेवाले प्रमाण अपलोड करें।
3. आवेदन पत्र पूर्णरूपेण भरने के उपरांत इसकी प्रति डाउनलोड कर संस्थान प्रधान को समर्पित करेंगे।
4. आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं अपनी अनुशंसा के उपरान्त संस्थान प्रधान संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

384

5. राज्य के अन्दर अध्ययनरत् आवेदक का आवेदन पत्र संस्थान से संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित करना है एवं राज्य से बाहर अध्ययरत् आवेदक का आवेदन पत्र आवेदक के जिला (जिस जिला का आवेदक स्थायी निवासी है) के जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा।
6. ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड किये जाने वाले प्रमाण पत्र –

- ✓ जाति प्रमाण–पत्र, अद्यतन आय प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र।
- ✓ गत उत्तीर्ण परीक्षा का अंक–पत्र।
- ✓ शिक्षण संस्थान का अनिवार्य शुल्क की मदवार अग्रसारित विवरणी।
- ✓ संस्थान का मान्यता संबंधी प्रमाण–पत्र।
- ✓ छात्रावासी प्रमाण–पत्र।
- ✓ अभिभावक का घोषणा–पत्र।
- ✓ फोटो एवं हस्ताक्षर।

➢ <u>**आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथिः–**</u>

1. आवेदक एवं संस्थान द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को समर्पित करने की अंतिम तिथि :– **31.08.2014**
2. अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

Hemant 14/7/22

सरकार के सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।